

**उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद शाहजहाँपुर।**

संख्या: 502/अधि0/स0सु0/2020

शाहजहाँपुर, दिनांक:- 16.06.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-112 के अर्न्तगत वाहनों की गति सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके अर्न्तगत उपरोक्त धारा की उपधारा-2 में गति पर निबंधन के संबंध में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम-178 में मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन के प्रावधान किये गये हैं जिसके अर्न्तगत "किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यतया मोटरयानों या किसी विषिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निगंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ से वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे।"

उक्त अधिनियम की धारा-112 उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक-11.06.2019 में दिये गये जिसमें शहरी क्षेत्रों में गति पर निबंधन हेतु पुलिस विभाग को निर्दिष्ट कर दिया गया है। पुलिस के पत्र सं0-331/स0सु0/2020-44स0सु0/2017 लखनऊ:दिनांक 17 फरवरी, 2020 जनपद शाहजहाँपुर के निम्न मार्गों पर गति सीमा निर्धारित की गयी है।

गति निर्धारित किये गये मार्गों की संख्या	सीमा	मार्गों का विवरण		मार्ग का नाम	निर्धारित गति सीमा
		मार्ग का प्रकार	मार्गों की संख्या		
4		राष्ट्रीय राजमार्ग	1	एन0एच0 24	80 किमी/घण्टा
		प्रादेशिक राजमार्ग	1	शाहजहाँपुर-हरदोई	60 किमी/घण्टा
			2	शाहजहाँपुर-निगोही	40 किमी/घण्टा
			1	शाहजहाँपुर-जलालाबाद	40 किमी/घण्टा

उक्त के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों के राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों / अन्य मार्गों पर गति के निबंधन किये जाने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम-178 की व्यवस्थानुसार रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के द्वारा की जानी है। मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शाहजहाँपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती हैं-

	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक जहां गति निबंधित रहेगी)	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 तक सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त माल यान एवं सतम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	शाहजहाँपुर-पुवायॉ-खुटार मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
2	राष्ट्रीय राजमार्ग	पुवायॉ-वण्डा मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
3	प्रादेशिक राजमार्ग	जलालाबाद-कलान-मिर्जापुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
4	प्रादेशिक राजमार्ग	कटरा-मदनापुर-जलालाबाद-अल्लागंज मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
5	जनपदीय मार्ग	कटरा-खुदागंज मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
6	जनपदीय मार्ग	जलालाबाद-गढ़िया रंगीन-जैतीपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा
7	जनपदीय मार्ग	शाहजहाँपुर-मोहम्दी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा	40 कि०मी० प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

- (1) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनो छोर- प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—
 - अ) अग्नि शमन वाहन
 - ब) एम्बुलेंस
 - स) पुलिस वाहन
 - द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
 - य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।
- (3) उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018 समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(मनोज प्रसाद वर्मा)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।

पृ0सं0— /अधि0 /स0सु0 /2020 समदिनॉकित—

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— परिवहन आयुक्त महोदय, उ0प्र0।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) महोदय, यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
- 3—जिलाधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर।
- 4—पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर।
- 5—निदेशक,छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐषबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 6—अधिषाषी अभियन्ता ,प्रान्तीय खण्ड /निर्माण खण्ड-1 /निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, शाहजहाँपुर।
- 7— राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली, उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।